संख्या-22/2018/612/38-6-18-06(एसआरएलएम)/2014

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-13 नवम्बर, 2018**

विषय:- डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 में स्वीकृत/अवमुक्त अवशेष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-3016/एनआरएलएम/1109/2018-19, दि0-05.10.2018 एवं मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के पत्रांक-1846 लेखा/कौ0वि0मि0/डीडीयू-जीकेवाई/बजट/2018-19, दि0-24-09-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-17036/57/2013एसजीएसवाई-2(एस.पी.) पार्ट-1(5/B), दि0-30.05.2018 द्वारा एक्शन प्लान 2016-19 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) में केन्द्रांश की प्रथम किस्त-805.62 लाख(आठ करोड पांच लाख बासठ हजार मात्र) अवमुक्त की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत 40000.00 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के उक्त पत्र दि0-30.05.2018 में राज्य सरकार को मैचिंग शेयर 90:10 के अनुपात में जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है। तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के उक्त आदेश दि0-30.05.2018 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-805.62 लाख एवं इसके सापेक्ष 10 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0-89.51 लाख कुल धनराशि रू0-895.13 लाख(रूपये आठ करोड पन्चानबें लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-18/2018/415/38-6-18-6(एसआरएलएम)/2014, दि0-06.09.2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दि0-20.08.2018 द्वारा फण्डिंग पैटर्न को संशोधित करते हुए केन्द्रांश:राज्यांश 60:40 के अनुपात में जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतएव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दि0-20.08.2018 में उल्लिखित व्यवस्था के दृष्टिगत मद सं0-83 के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश रू0-805.62 लाख(60 प्रतिशत) एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-537.08 लाख(40 प्रतिशत) में से जारी राज्यांश 89.51 लाख को घटाते हुए अवशेष राज्यांश की धनराशि रू0-447.57 लाख (चार करोड सैंतालीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन कार्यों/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं कार्यों/मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशानिर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(6) धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(7) स्वीक़त की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 एवं संबंधित अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) आगामी किश्त के राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत की गयी धनराशियों का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सि डी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-1014/दस-18, दि0-31.10.2018 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2018/612(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- बजट प्रकोष्ठ समाजकल्याण/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in